

IMPORTANT NOTICE

Notice on Acceptance of Notes	टिप्पणीयों के स्वीकृति के बारे में सूचना
<p>We at Kotak Mahindra Bank Ltd. accept and deliver currency notes in de-stapled and un-stitched condition only.</p> <p>Please do not write or scribble on currency notes.</p> <p>Please count and check the currency notes before leaving the cash counter. No claim will be entertained thereafter</p>	<p>कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड में हम केवल बिना स्टेपल किए हुए और बिना सिले हुए करेंसी नोटों का आदान-प्रदान करते हैं।</p> <p>कृपया करेंसी नोटों पर कुछ लिखें नहीं तथा लकीरें न बनाएँ।</p> <p>कृपया कैश काउंटर छोड़ने से पहले करेंसी नोटों को गिन लें और जाँच कर लें। उसके बाद किसी भी दावे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।</p>
Cash Handling by Customer	ग्राहकों द्वारा नकद संभालना
<p>Customers are requested to make deposit/payment only to our designated counter & only to our branch officials.</p> <p>Please be cautious of unknown people while handling your cash.</p>	<p>ग्राहकों से निवेदन किया जाता है कि - कैश केवल हमारे निर्दिष्ट काउंटर और हमारी शाखा के अधिकारियों के पास ही जमा/भुगतान करें।</p> <p>कृपया नकद का प्रबंधन करते समय अज्ञान लोगों से सावधान रहें।</p>
Forged Notes	जाली नोट
<p>For any forged note detected in cash deposits, please request for a separate receipt.</p>	<p>नकदी जमा करते समय किसी भी नकली नोट के मिलने पर कृपया अलग रसीद की माँग करें।</p>
Note Exchange Facility	नोट बदलने की सुविधा
<p>Soiled and Mutilated Notes exchange facility available</p>	<p>गंदे और कटे फटे नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध है।</p>
Acceptance of coins	सिक्कों की स्वीकृति
<p>We accept coins tendered at our counters either for exchange or for deposit in accounts and also provide exchange facility during business hours on all working days as per section 6 (1) of The Coinage Act, 2011, as under:-</p> <p>a. a coin of any denomination not lower than one rupee, for any sum not exceeding one thousand rupees;</p> <p>b. a half-rupee coin, for any sum not exceeding ten rupees:</p> <p>Provided that the coin has not been defaced and has not lost weight so as to be less than such weight as may be prescribed in its case.</p>	<p>हम सिक्का अधिनियम, २०११, की धारा ६ (१) के अनुसार निम्न विषयांतर्गत अपने काउंटर्स पर विनिमय हेतु या सीधे खातों में जमा करने हेतु सिक्कों को स्वीकार करते हैं तथा सभी कार्य दिवसों के व्यावसायिक समयों पर विनिमय सुविधा भी प्रदान करते हैं:-</p> <p>अ. सिक्के का आंका गया मूल्य एक रुपए से कम न हो, और समग्र सिक्कों का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक न हो;</p> <p>ब. पचास पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य दस रुपए से अधिक न हो:</p> <p>बशर्ते सिक्का विरूपित न हुआ हो और उसका भार इस मामले में निर्धारित किए गए भार से कम न हुआ हो।</p>